खाद्यान्नों का उत्पादन और खरीद

573. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या इस वर्ष असमय वर्षा और ओला वृष्टि के कारण देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी आने की संभावना है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने किन-किन राज्यों में और कब से गेहूं की खरीद आरम्भ कर दी है और अब तक कितने गेहूं की खरीद की जा चुकी है; और

(ग) क्या यह सच है कि खरीद केन्द्रों की कमी और गेहूं की खरीद का कार्य देरी से शुरू करने के कारण किसानों को घोषित समर्थन मूल्य की तुलना में काफी कम मूल्य पर खुले बाजार में गेहूं बेचना पड़ा है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय). (क) कृषि फसल वर्ष, 1991-92 के दौरान कुल 167.06 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों के हुए उत्पादन के प्रति कृषि फसल वर्ष, 1992-93 के दौरान कुल 180.3 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकारों/राज्य की वसूली एजेंसियों के सहयोग से वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1993-94 में पहली अप्रैल, 1993 से गेहूं की वसूली करनी शुरू कर दी है। एक विवरण (उपाबंध) संलग्न है जिसमें 28 अप्रैल, 1993 को स्थिति के अनुसार वसूल किए गए गेहूं की राज्यवार मात्राएं दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं। विनियमित बाजारों/मंडियों और वसूली एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों में किसानों द्वारा पेश किए गए विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप समस्त गेहूं को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वसूली मूल्य पर खरीद लिया जाता है।

प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले

574. **श्री राम नरेश यादव** :
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "जन्म प्रमाणपत्र" प्रस्तुत न कर पाने के कारण हजारों बच्चों, विशेषकर पिछड़े तथा गन्दी बस्तियों वाले क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला देने से इंकार कर दिया जाता है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस बाधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री कुमारी शैलजा : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासकों द्वारा प्राथमिक स्कूलों में दाखिलों का विनियमन किया जाता है। आमतौर पर प्राथमिक स्कूलों में दाखिला दिलाते समय अभिभावकों द्वारा दी गई एफीडेविट को स्कूल स्वीकार कर लेते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। अतएव प्राथमिक स्कूलों में जन्म-प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण दाखिलों से मनाही करने की बच्चों की प्रतिशतता के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

Study Centres in Arunachal Pradesh

575. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the total number o